



क्रमांक:—एफ.24(Session2026-27)/बी.एड/आकाशि/2026

दिनांक: यथाहस्ताक्षर

समन्वयक,
प्री-एमईटी, प्री-बीएमईटी, प्री-बीपीएड व प्री-एमपीएड — 2026
(एम.एड, बी.एड-एम.एड-3 वर्षीय एकीकृत, बी.पी.एड. व एम.पी.एड),
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

विषय:—सत्र 2026-27 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (एम.एड, बी.एड.-एम.एड.-3 वर्षीय एकीकृत, बी.पी.एड. व एम.पी.एड पाठ्यक्रम हेतु) की सूची काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति, एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थानों (एम.एड, बी.एड.-एम.एड.-3 वर्षीय एकीकृत, बी.पी.एड. व एम.पी.एड पाठ्यक्रम) की सूची संलग्न कर काउन्सलिंग सत्र 2026-27 की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:—

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक प्री-एमईटी, प्री-बीएमईटी, प्री-बीपीएड एवं प्री-एमपीएड 2026 के माध्यम से मेरिट के आधार पर एम.एड, बी.एड-एम.एड-3 वर्षीय एकीकृत, बी.पी.एड. व एम.पी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जायेंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।
6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
 - I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश।
 - II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टाफ एवं अशैक्षणिक स्टाफ की सूची।
 - IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या।
 - V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
7. प्रभावी एनसीटीई रेगुलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नथमल डिडेल)
 आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7,सेक्टर-10 ,द्वारका,नई दिल्ली-110075।
6. रजिस्ट्रार, समस्त राज्य पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय।
8. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली

आयुक्त



B.Ed.-M.Ed. (3 Year Integrated) 2026-27

S. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	Category	Seats
1	Jaipur	Biyani Girls B.Ed. College,	Sector-03, Vidhyadhar Nagar, Jaipur	Jaipur	Women	50
2	Jaipur	Gyan Vihar School of Education, Suresh Gyan Vihar University	Mahal, Jagatpura, Sanganer, Jaipur, 302017	Sanganer	Co-Edu.	50
3	Karauli	Sorabh College of Teacher Training	Village- Kheda, Tehsil- Hindaun City, Karauli	Hindaun City	Co-Edu.	50
4	Sikar	Mahala Teachers Training Institute	KHATUSHYAMJI ROAD, REENGUS, SIKAR, 332404	Reengus	Co-Edu.	50
5	Udaipur	Lokmanya Tilak College of Teacher Education	Janardan Rai Nagar, Rajasthan Vidhyapeeth, Deemed University, Udaipur	Mavli	Co-Edu.	50